रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2003.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 20 अगस्त, 2003/29 श्रावण, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

आवास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 अगस्त, 2003

संख्या आवास-6 (एफ) 7-6/2000.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि आवास बोर्ड हिमाचल प्रदेश जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 3 के खण्ड (सी0सी0) के अर्थान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः उप-महाल रक्कड़ कलौनी, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में आवास बस्ती के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अपेक्षित है । अतः एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्नलिखित विवरणी में विनिर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, आवास बोर्ड को एतद्द्वारा उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निर्देश दिया जाता है।

1945-राजपत्र/2003-20-8-2003—1,394. (1457) मूल्य : 1 रुपया ।

भूमि का रेखांक समाहर्ता, भू-अर्जन अधिकारी, आवास बोर्ड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला : ऊना तहसील : ऊना

गांव 1	खसरा नं0 2	रकबा (हैक्टेयरों में) 3
उप-महाल रक्कड़ कलौनी	782	0 04 23
	783	0 07 13
	2022/784/1	0 01 16
	2023/784/1	0 02 46
	2023/784/3/4	0 10 68
	2023/784/3/7	0 00 71
	785	0 16 08
	2025/792/2	1 71 03
	2027/793	0 06 31
	147	0 01 21
	2026/793	0 06 37
	कित्ता 11	2 27 37

आदेशानुसार,

हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित